सामान्य निबंधन एवं शर्तें

नीचे दी गईं निबंधन एवं शर्तें एअर इंडिया की सभी उड़ानों पर लागू हैं।

सामान्य सूचना

इस सूचना का संकलन करते समय, एअर इंडिया ने यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया है कि सभी सूचनाएं सही हों। तथापि, यहां दी गई सूचना के सही अथवा पूर्ण होने के बारे में कोई गारंटी अथवा अभिवेदन नहीं दिया गया है। एअर इंडिया बिना किसी सूचना के इस जानकारी में परिवर्तन कर सकती है।

सेवा श्रेणी

एअर इंडिया तीन प्रकार की सेवा श्रेणियां ऑफर करती है:

प्रथम श्रेणी

एग्ज़ेक्यूटिव श्रेणी

इकोनॉमी श्रेणी

हमारी बोइंग उड़ानों में अधिकांशत: प्रथम श्रेणी उपलब्ध है। तथापि, हमारी एटीआर एवं एयरबस उड़ानों में यह श्रेणी उपलब्ध नहीं है।

हमारे बोइंग एवं एयरबस विमानों में अधिकांशत: एग्ज़ेक्यूटिव श्रेणी उपलब्ध है।

उड़ानों में धुम्रपान की अनुमति नहीं है

भारत सरकार के अनुसार, एअर इंडिया की सभी उड़ानों पर धुम्रपान निषेध है। अलग से एहतियाती उपाय के रूप में, सभी विमानों में टॉयलेट में 'स्मोक डिटेक्टर' लगे हैं।

आरक्षण

हमारा सुझाव है कि जहां तक संभव हो आप एडवांस में अपना आरक्षण एअर इंडिया कार्यालय अथवा अनुमोदित ट्रेवल एजेंट के माध्यम से कराएं। आप हमारी ऑनलाइन बुकिंग सुविधा का उपयोग करके भी ई-टिकट बुक कर सकते हैं व भुगतान कर खरीद सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आरक्षण के समय अपने यात्रा-क्रम के प्रत्येक शहर का संपर्क नं. प्रदान करें। इससे आपके द्वारा बुक की गई उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर हम आपको सूचित कर पाएंगे।

आरक्षण अपेक्षाएं

आरक्षण तब तक पुष्टिकृत नहीं होते हैं जब तक कि वाहक अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट द्वारा उसे 'स्वीकृत' के रूप में रिकार्ड न किया जाए।

जैसाकि एयरलाइन के विनियमों में दिया गया है, कुछ किराए शर्तों के अधीन होते हैं जिसमें यात्री को आरक्षण में परिवर्तन करने एवं रद्द करने की अनुमति नहीं होती है।

टिकटिंग/किराए एवं समय-सीमा

कृपया ध्यान दें कि किरायों में बिना किसी सूचना के परिवर्तन हो सकता है। यदि आपने टिकट खरीद ली है तथा तत्पश्चात् किरायों में वृद्धि हो जाती है तो आपको किराए में अंतर की धनराशि का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, यदि आप अपनी यात्रा की तिथि में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं जिसमें टिकट पुनः जारी की जानी अपेक्षित है तो टिकट में परिवर्तन कराते समय उस समय लागू किराए के अनुसार आपको किराए में अंतर की राशि का भुगतान करना होगा। कृपया टिकट जारी होने के बाद उसे जांच लें कि वह सही है तथा आपसे अनुरोध है कि आप निबंधन एवं शर्तें तथा वहन की शर्तें अवश्य पढ़ लें।

पूरी तरह से उपयोग न की गई ओपन टिकटें तथा घरेलू टिकटें जारी करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होती हैं। जब तक टिकट पर विशेष रूप से उल्लिखित न हो, सामान्य एकतरफा, राउंड अथवा सरकल ट्रिप किराए पर जारी अंतरराष्ट्रीय टिकटों की वैधता अवधि यात्रा आरंभ करने की तिथि से एक वर्ष होती है। अथवा यदि अंतरराष्ट्रीय टिकट का पहला उड़ान कूपन ओपन है तथा/अथवा उसका उपयोग नहीं किया गया है तो टिकट उसके जारी करने की तिथि से वैध होगी। हमारे कार्यालयों तथा प्राधिकृत ट्रेवल एजेंट के माध्यम से टिकट खरीदने के बाद आप अपने यात्राक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो कृपया आप अपनी टिकट को हमारे कार्यालयों, एयरपोर्ट टिकट काउंटर अथवा प्राधिकृत ट्रेवल एजेंसी से उपयुक्त रूप से पुनः वैधीकृत करा लें।

कृपया सामान्य किरायों के तहत टिकट रद्द कराने,पुनः बुक कराने तथा खरीदने के संबंध में निम्नलिखित बातें नोट कर लें।

भारत के भीतर घरेलू यात्रा के लिए

भारतीय रुपए किराए में जारी पुष्टिकृत टिकट में रद्दकरण, यात्रा तिथि आगे बढ़ाना, यात्राक्रम परिवर्तन सहित किसी भी प्रकार का परिवर्तन, उड़ान प्रस्थान से कम से कम एक घंटा पूर्व (आरबीडी टी,एस व ई में जारी टिकटों के लिए उड़ान प्रस्थान से 24 घंटे पूर्व) कराया जाना चाहिए। जब एक टिकट उच्च किराया श्रेणी से निचली किराया श्रेणी अथवा इसके विपरीत पुनः जारी की जाती है तो टिकट पुनः जारी करने के प्रभार लिए जाते हैं, चाहे यात्रा के सेक्टर/श्रेणी में परिवर्तन हुआ हो या नहीं।

यदि टिकटिंग समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया जाता है तो मूल किराए पर 100 प्रतिशत रद्दकरण प्रभार लागू होगा। यह प्रकाशित पूर्ण किराया टिकटों पर लागू है। विशेष किरायों के लिए, कृपया लागू रद्दकरण प्रभार देख लें।

किराया नियमों में दिए गए धनवापसी जुर्माने के अनुसार धनवापसी की जाएगी तथा धनवापसी का भुगतान, भुगतान की मूल मुद्रा, देश व भुगतान के प्रकार के अनुसार किया जाएगा। हमारे कार्यालयों अथवा एयरपोर्ट टिकटिंग काउंटरों से आपके द्वारा खरीदी गई टिकट के मूल्य की धनवापसी हमारे द्वारा सीधे आपको की जाएगी:

यदि टिकट के लिए नकद में भुगतान किया गया है तो धनवापसी नकद में की जाएगी।

यदि टिकट के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया गया है तो राशि संबंधित क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट की जाएगी।

यदि टिकट के लिए डेबिट कार्ड से भुगतान किया गया है तो राशि सीधे आपके संबंधित बैंक खाते में क्रेडिट की जाएगी।

ट्रेवल एजेंट द्वारा जारी टिकट की धनवापसी जारी करने वाले ट्रेवल एजेंट द्वारा प्रोसेस की जानी चाहिए।

भारत से बाहर जारी की गई टिकटों की धनवापसी उस देश में की जाएगी जहां से टिकट खरीदी गई थी।

कृपया ध्यान दें कि कुछ किरायों में ऐसी शर्तें हो सकती हैं जिसके तहत धनवापसी नहीं की जाती है। पूरी जानकारी के लिए कृपया उस विशेष किराए से संबंधित निबंधन व शर्तें देखें अथवा अपने निकटतम एअर इंडिया टिकटिंग कार्यालय अथवा 24 घंटे उपलब्ध आरक्षण कार्यालय अथवा अपने ट्रेवल एजेंट से संपर्क करें। टिकट पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा है अथवा टिकट के लिए मूल रूप से जिसने भुगतान किया है, केवल उन्हीं व्यक्तियों को धनवापसी करने का अधिकार एअर इंडिया के पास है। साथ ही एअर इंडिया धनवापसी से इंकार कर सकती है, यदि ऐसी धनवापसी के लिए आवेदन टिकट की वैधता अवधि की समाप्ति के भी 365 दिनों के बाद किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों के लिए :

अंतरराष्ट्रीय यात्रा की टिकटों के लिए रद्दकरण प्रभार लागू हैं। ये सेक्टर विशिष्ट होते हैं। संबंधित विवरण हमारे कार्यालयों, एयरपोर्ट टिकट काउंटरों, ऑनलाइन बुकिंग कराते समय हमारी वेबसाइट तथा हमारे प्राधिकृत ट्रेवल एजेंट के पास उपलब्ध है।

www.airindia.in पर जारी की गईं टिकटें

टिकट रिट्रीव करने पर आपकी बुकिंग के केवल उपयोग न किए गए सेगमेंट ही दर्शाए जाएंगे। यदि आपका बुकिंग स्टेट्स 'चेक्ड-इन', 'उपयोग कर ली गई टिकट' या 'धनवापसी' है तो उसे नहीं दर्शाया जाएगा।

तथापि कृपया नोट करें कि यदि बुकिंग को कॉल सेंटर/आरक्षण कार्यालय से संशोधित अथवा रद्द कराया गया है तो इसे आगे ऑनलाइन संशोधित अथवा रद्द नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सिंगल पीएनआर जिसमें अनेक यात्रियों की बुकिंग है, में ऑनलाइन संशोधन अथवा रद्दकरण करने पर एक ही पीएनआर में बुक किए गए सभी यात्रियों की टिकटिंग में संशोधन अथवा रद्दकरण हो जाएगा तथा बहु यात्री बुकिंग में एक

यात्री हेतु रद्दकरण संभव नहीं है। आपका धनवापसी अनुरोध प्राप्त होते ही 7 कार्य दिवसों के भीतर प्रोसेस कर दिया जाएगा।

यदि रद्दकरण/धनवापसी शुल्क लागू होगा तो वह राशि काट ली जाएगी तथा शेष धनराशि की वापसी उसी क्रेडिट/डेबिट कार्ड में की जाएगी जिससे मूल टिकट खरीदी गई थी।

किसी अन्य सूचना एवं सहायता के लिए कृपया ecommerce@airindia.in को लिखें।

रियायती किराए

छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष अथवा अधिक आयु), कैंसर रोगी, दृष्टिहीन तथा सशस्त्र सैन्य बल के कर्मियों को भारत के भीतर हमारे द्वारा प्रचालित सभी सेक्टरों पर इकोनॉमी श्रेणी में मूल वयस्क किराए पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। तथापि ऐसे यात्रियों के वहन के लिए प्रत्येक उड़ान में सीमित सीटें आबंटित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मामले में कुछ शर्तें लागू होती हैं व कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी अपेक्षित होती हैं तथा इससे संबंधित विवरण हमारे कार्यालयों, एयरपोर्ट टिकट काउंटरों तथा हमारे प्राधिकृत ट्रेवल एजेंट से प्राप्त किए जा सकते हैं। तथापि सभी कर, एयरलाइन ईंधन प्रभार तथा शुल्क सामान्य वयस्क किराए (जो छूट प्राप्त नहीं है) के अनुसार लागू होते हैं। समय-समय पर हम विशेष किराए तथा पैकेज ऑफर करते हैं जिनका विवरण, निबंधन एवं शर्तें हमारे कार्यालयों, एयरपोर्ट टिकट काउंटरों, हमारे ट्रेवल एजेंटों तथा हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

शिशु किराए:

2 वर्ष से कम आयु के बच्चे शिशु हैं। शिशु टिकटों के लिए सामान्य किराया मूल सामान्य वयस्क किराए का 10 प्रतिशत होगा, विशेष किरायों के लिए यह अलग हो सकता है। घरेलू यात्रा के लिए वर्तमान में शिशु बेस किराया 1000 रुपए है (जिसमें बिना किसी सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है)। इस किराए के अतिरिक्त लागू कर, एयरलाइन ईंधन प्रभार तथा शुल्क लिया जाएगा। कभी-कभी विशेष छूट प्राप्त किरायों में शिशुओं के लिए छूट लागू नहीं होती है। यदि यात्रा आरंभ होने पर शिशु दो वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो टिकट का एक भाग शिशु तथा एक भाग बच्चों के किराए पर जारी किया जाएगा। शिशु टिकट पर यात्रा कर रहे शिशु को सीट नहीं दी जाती है। यदि सीट अपेक्षित है तो शिशु के लिए बच्चे के किराए का भुगतान करना होता है।

कृपया नोट करें:

14 दिनों से कम आयु के शिशुओं को यात्रा की अनुमति नहीं है (घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों)। तथापि, आपात स्थिति में जहां शिशु के जीवन को बचाने के लिए उपचार अनिवार्य है तो ऐसी स्थिति में शिशु को मां के साथ यात्रा की अनुमति दी जाती है बशर्ते संबंधित बच्चों के डॉक्टर ने शिशु को उड़ान के लिए फिट प्रमाणित किया हो तथा उनके साथ कम से कम एक एमबीबीएस डॉक्टर यात्रा करे।

बच्चों की यात्रा

यात्रा आरंभ करने की तिथि को दो वर्ष की आयु पूरी कर चुके तथा 12 वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए बच्चों के किराए लागू होते हैं। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए बच्चों की टिकट हेतु मूल सामान्य वयस्क किराए का 75 प्रतिशत किराया लागू होता है। इकोनॉमी श्रेणी में घरेलू यात्रा के लिए कोई छूट नहीं दी जाती है तथा बिज़नेस व प्रथम श्रेणी में मूल सामान्य किराए का 75 प्रतिशत लागू होता है।

वैयक्तिक डाटा

यात्री द्वारा वहन तथा सहायक सेवाएं प्राप्त करने हेतु आरक्षण कराने के लिए वाहक को दिए गए वैयक्तिक डाटा की पहचान यात्री द्वारा की जाती है जो वाहक को ऐसे डाटा को रखने तथा अपने कार्यालयों, अन्य वाहकों अथवा ऐसी सेवाओं के प्रदाताओं (चाहे किसी भी देश में स्थित हो) को प्रेषित करने के लिए प्राधिकृत करता है।

चेक-इन समय

घरेलू उड़ानो के लिए:

सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए चेक-इन सामान्यत: प्रस्थान से 120 मिनट पूर्व आरंभ की जाती है तथा उड़ान प्रस्थान से 45 मिनट पूर्व चेक-इन काउंटर बंद कर दिए जाते हैं।

यात्रियों से अनुरोध है कि श्रीनगर, जम्मू तथा लेह एयरपोर्ट में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के कारण वे उड़ान प्रस्थान से 120 मिनट पूर्व रिपोर्ट करें।

कृपया ध्यान दें कि जम्मू, श्रीनगर तथा लेह स्टेशनों से आरंभ हो रही उड़ानों से यात्रा कर रहे यात्रियों को अपने साथ कोई हैंड बैगेज ले जाने की अनुमति नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए:

सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए चेक-इन सामान्यत: प्रस्थान से 3 घंटे पूर्व आरंभ की जाती है तथा उड़ान प्रस्थान से 60 मिनट पूर्व चेक-इन काउंटर बंद कर दिए जाते हैं।

एयरलाइन द्वारा यात्रा के लिए स्वीकार करने से पूर्व तथा पश्चात् एयरपोर्ट पर यात्री द्वारा कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी अपेक्षित होती है। इन औपचारिकताओं को पूरा करने तथा चेक-इन प्रक्रिया के लिए यात्रियों को उड़ान के प्रस्थान से पर्याप्त समय पूर्व पहुंचना अपेक्षित होता है।

बैगेज एलाउंस

बैगेज एलांउस पर अधिक जानकारी के लिए http://www.airindia.in/baggage.htm देखें।

वस्तुएं

नि:शुल्क सामान ले जाने की सीमा के अतिरिक्त वह वस्तुएं जो नि:शुल्क वहन की जा सकती हैं (सुरक्षा विनियमों के अधीन)

- ओवरकोट रैप अथवा कंबल
- एक छाता अथवा छड़ी
- लेडीज़ हैंडबैग, लेडीज़ पॉकेटबुक अथवा लेडीज़ पर्स
- उड़ान में पढ़ने के लिए पठन सामग्री
- एक छोटा कैमरा तथा/अथवा दूरबीन

शिशु पालना

उड़ान में खाने के लिए शिशु भोजन

यात्री के उपयोग हेतु पूरी तरह फोल्ड हो जाने वाली अशक्त यात्री की व्हील चेयर तथा/अथवा बैसाखी का जोड़ा तथा/अथवा ब्रेसेस अथवा अन्य कोई कृत्रिम उपकरण बशर्ते यात्री उस पर निर्भर हो।

सुरक्षा विनियम

सुरक्षा विनियमों के अनुसार, यात्रियों को सूचित किया जाता है कि :

अनजान व्यक्तियों से कोई पैकेट स्वीकार न करें।

अपने बैगेज को विशेष रूप से एयरपोर्ट एरिया में किसी भी समय अपनी दृष्टि से दूर/लावारिस न छोड़े, लावारिस सामान को संदेहास्पद होने के कारण एयरपोर्ट सुरक्षा स्टाफ द्वारा हटाया जा सकता है।

यदि आप अपने साथ कोई हथियार अथवा विस्फोटक सामान ले जा रहे हैं तो बैगेज स्क्रीनिंग/चेक-इन से पहले उसके संबंध में सूचित करना सुनिश्चित करें।

इस प्रकार की जानकारी छुपाना विमान अधिनियम तथा नियमों के तहत एक अपराध है।

केवल एक हैंड बैगेज लेकर जाएं जिसका तीनों आयामों (अर्थात् लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई) का जोड़ 115 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए।

हैंड बैगेज अथवा किसी भी इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रॉनिक सामान में लगे बैटरी सैल/ड्राई सैल निकाल दिए जाते हैं तथा एयरलाइन उन्हें गंतव्य पर वापस करने की स्थिति में नहीं होती है। कृपया इनका वहन चैक्ड बैगेज में ही करें।

निषिद्ध वस्तुएं

यात्री केबिन में ड्राई सैल बैटरी, चाकू, कैंची, नुकीले उपकरण, औजार,फायर आर्म, गोला-बारूद तथा इन आकारों में बने खिलौने ले जाने पर रोक है।

मूल्यवान वस्तुएं

मुद्रा, मूल्यवान धातू, आभूषण, विनिमेय दस्तावेज़, ऋणपत्र, वयैक्तिक पहचान दस्तावेज़ तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं यात्री अपने केबिन बैगेज में ही रखें।

वस्तुएं

यात्री यात्रा के दौरान अपनी आवश्यकता अथवा उपयुक्तता के अनुसार सीमित मात्रा में दवाइयां तथा प्रसाधन का सामान (toiletries) जैसे हेयर स्प्रे, परफ्यूम्स तथा एल्कोहलयुक्त दवाइयों का वहन कर सकते हैं। इनमें से अनेक सूचीबद्ध वस्तुएं हवाई कार्गो के रूप में वहन की जा सकती हैं बशर्ते उन्हें कार्गो विनियमों के अनुसार पैक किया गया हो।

निम्नलिखित वस्तुओं का वहन किया जा सकता है:
ड्राई आइस, प्रति यात्री 2 किलोग्राम (5 पाउंड) से अधिक न हो तथा इनका उपयोग नाशवान वस्तुओं को पैक करने के लिए किया गया हो। इनका वहन केवल हाथ में ले जाए जा रहे सामान में किया जा सकता है।

एल्कोहलिक पेय पदार्थ। वाहक की अनुमति से, चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन गैस के छोटे सिलैंडर तथा कृत्रिम अंगों के प्रचालन के लिए यात्री द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा कार्बन डाई ऑक्साइड का छोटे सिलैंडर। उक्त शर्तें केवल उदाहरणस्वरूप दी गईं हैं तथा सम्पूर्ण नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम एअर इंडिया कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

बैगेज में खतरनाक वस्तुएं
नीचे दी गईं खतरनाक वस्तुएं सुरक्षा कारणों से यात्री बैगेज में वहन नहीं की जानी चाहिए।

कम्प्रैस्ड गैस - अत्यधिक प्रशीतित, ज्वलनशील, अज्वलनशील तथा जहरीली गैस जैसे ब्यूटेन, ऑक्सीजन, द्रव्य नाइट्रोजन, एक्वालंग सिलैंडर्स तथा कम्प्रैस्ड गैस सिलैंडर्स।
संक्षारक (Corrosives) जैसे एसिड, एल्केलिस, पारा तथा वेट सैल बैटरियां तथा पारेयुक्त उपकरण
विस्फोटक, गोला बारूद, आतिशबाजी तथा फ्लेयर्स। खाली कारतूस, हैंड गन, फायर वर्क व पिस्तौल कैप सहित गोला बारूद
ज्वलनशील द्रव्य तथा ठोस जैसे लाइटर रिफिल्स, एल्कोहल, लाइटर ईंधन, माचिस, पेंट, थिनर्स, फायर लाइटर्स, लाइटर्स जिन्हें जलाने से पूर्व इनवर्ट करने की आवश्यकता होती है।
रेडियोएक्टिव सामग्री, अलार्म उपकरण लगे ब्रीफकेस तथा अटैची।
ऑक्सीडाइजिग सामग्री जैसे ब्लीचिंग पाउचर तथा पेरोक्साइड्स।
जहर तथा संक्रामक पदार्थ जैसे कीटनाशक, खरपतवार नाशक तथा जीवित वायरस पदार्थ।
अन्य खतरनाक वस्तुएं जैसे चुम्बकीय, आक्रामक अथवा प्रदाहात्मक सामग्री। भारत सरकार के अनुसार, उड़ान के दौरान किसी भी समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर रोक है।

घरेलू यात्रा:
भारत के भीतर अनुसूचित उड़ानों के लिए कॉन्ट्रेक्ट की शर्तें

यहां जो वहन अंतरराष्ट्रीय नहीं हैं, वह भारतीय वायु परिवहन अधिनियम 1972 की धारा 8 के तहत समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं में उल्लिखित देयताओं से संबंधित नियमों व सीमाओं के अधीन है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 अगस्त 1989 की अधिसूचना सं. एसओ 659 (ई) से सहमत होते हुए निम्नानुसार देयता के लिए जिम्मेदारी होगी:

यात्री की मृत्यु हो जाने पर अथवा यात्री को ऐसी शारीरिक घाव व चोट लगने पर जिसके परिणामस्वरूप वह अपने सामान्य कार्यों अथवा बिज़नेस अथवा पेशे को करने में स्थायी

रूप से अक्षम हो जाता है तो दुर्घटना की तिथि को 12 वर्ष या अधिक आयु के यात्री के लिए वास्तविक वाहक होने के नाते एअर इंडिया की देयता 7,50,000/- रुपए तथा 12 वर्ष से कम आयु के यात्री के लिए 3,75,000 होगी।

अंतरराष्ट्रीय यात्रा नहीं कर रहे यात्रियों की बैगेज देयता सीमा के संबंध में सूचना

बैगेज की हानि अथवा क्षतिग्रस्त होने के संबंध में देयता सीमित है, जो निम्नानुसार है:

यात्री द्वारा चेक-इन सामान के लिए 450/- रुपए प्रति किग्रा की दर से कुल राशि

जिन सामानों की जिम्मेदारी यात्री स्वयं लेता है उनके संबंध में कुल 4000/- रुपए।

जब तक कि यात्री ने एडवांस में सामान का उच्च मूल्य घोषित कर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान न किया हो तब तक, सामान की हानि, विलंब अथवा क्षति के लिए वाहक की देयता 450/- रुपए प्रति किलो की दर तक सीमित है। कुछ प्रकार के सामानों के लिए अधिक मूल्य घोषित नहीं किया जा सकता है, एयरलाइन भंगुर व नाशवान वस्तुओं की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

विलंब के लिए देयता न होना

यात्रियों अथवा सामान के हवाई वहन में विलंब के कारण होने वाली क्षति के लिए वाहक जिम्मेवार होगा। यात्रियों अथवा सामान के हवाई वहन में विलंब के कारण होने वाली क्षति के लिए वाहक उस स्थिति में जिम्मेवार नहीं होगा यदि यह साबित हो जाता है कि उसके व उसके सेवाकर्मियों तथा एजेंटों ने क्षति को रोकने के लिए अपेक्षित सभी उपाय यथोचित रूप से किए हैं अथवा उसके अथवा उनके द्वारा ऐसे उपाय करना असंभव था।

विनियमों से उद्धृत

कंपनी बिना कोई कारण बताए उड़ान को रद्द अथवा आरंभ होने में विलंब अथवा उड़ान को जारी रखने अथवा स्टॉप के स्थान को परिवर्तित करने अथवा यात्रा के मार्ग में परिवर्तन करने का अधिकार अपने पास रखती है तथा इसके फलस्वरूप होने वाली क्षति का अथवा यात्रियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी आधार पर कोई उत्तरदायित्व नहीं लेती है। कंपनी किसी भी व्यक्ति जिसको फिट नहीं मानती है अथवा कंपनी की राय में जो व्यक्ति विमान अथवा विमान में बैठे यात्रियों के लिए खतरा है, उन्हें यात्रा के लिए वहन करने से इंकार करने का अधिकार कंपनी के पास है।

किसी भी समय, यह पाए जाने पर कि विमान में आरक्षित भार अथवा यात्री विमान की क्षमता से अधिक है तो कंपनी के पास यह निर्णय लेने का अधिकार है कि किस यात्री अथवा सामान को विमान से उतारा जाए तथा यह निर्णय बाध्य होगा।

यात्रियों अथवा सामान के हवाई वहन में विलंब के कारण होने वाली किसी भी हानि अथवा क्षति के लिए कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। यात्रा समाप्त होने पर पंजीकृत सामान की शिकायत न मिलने पर इसे प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाएगा कि सही सामान सही दशा में डिलीवर कर दिया गया है।

कंपनी द्वारा जारी टिकट पर कंपनी द्वारा समय-समय पर लागू रद्दकरण नियम लागू होंगे जिसकी जानकारी कंपनी के किसी भी कार्यालय से ली जा सकती है।

- यात्री की मृत्यु हो जाने पर अथवा यात्री को ऐसी शारीरिक घाव व चोट लगने पर जिसके परिणामस्वरूप वह अपने सामान्य कार्यों अथवा बिज़नेस अथवा पेशे को करने में स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है तो दुर्घटना की तिथि को 12 वर्ष या अधिक आयु के यात्री के लिए वास्तविक वाहक होने के नाते एअर इंडिया की देयता 7,50,000/- रुपए तथा 12 वर्ष से कम आयु के यात्री के लिए 3,75,000 होगी।

अंतरराष्ट्रीय यात्रा

केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए लागू वहन की शर्तें एवं निबंधन:

टिकट में कॉन्ट्रेक्ट की शर्तों के अनुसार, यदि टिकट, 'जारी करने वाले वाहक' अथवा उसके प्राधिकृत ट्रेवल एजेंट द्वारा नहीं खरीदी गई है तो यह टिकट वहन के लिए मान्य नहीं होगी तथा स्वीकार नहीं की जाएगी।

देयता सीमा के संबंध में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सूचना

वह यात्री जिनकी यात्रा में यात्रा आरंभ करने के देश के अतिरिक्त किसी अन्य देश में अंतिम गंतव्य अथवा स्टॉप है, उन्हें अवगत कराया जाता है कि यात्रा आरंभ करने अथवा गंतव्य के देश के भीतर पूरी तरह आ रहे भाग सहित पूरी यात्रा के लिए मॉन्ट्रियल कनवेंशन के नाम से की गई संधि के प्रावधान लागू होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका के लिए अथवा से अथवा वहां सहमत स्टॉपिंग स्थान की यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए, लागू टैरिफ में सम्मिलित कनवेंशन तथा वहन के लिए विशेष कॉन्ट्रेक्ट कुछ वाहक पार्टियों की देयता का प्रावधान करते हैं। यात्रियों की मृत्यु अथवा उन्हें चोट लगने पर अधिकांश मामलों में क्षति प्रति यात्री 75000 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होगी तथा देयता की यह सीमा वाहक की ओर से हुई चूक पर निर्भर नहीं करेगी। ऐसे विशेष कॉन्ट्रेक्ट के लिए वाहक पार्टियों के नाम इन वाहकों के सभी टिकट कार्यालयों में उपलब्ध होते हैं तथा उक्त कार्यालयों से अनुरोध कर आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप निजी कंपनी से बीमा खरीदकर अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वारसॉ कनवेंशन अथवा वहन के लिए ऐसे विशेष कॉन्ट्रेक्ट के तहत ऐसे बीमा एयरलाइन की देयता की किसी सीमा से प्रभावित नहीं होते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी एयरलाइन अथवा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें।

नोट: उपरोक्त 75000 अमरीकी डॉलर की देयता सीमा में कानूनी शुल्क तथा लागत सम्मिलित हैं इसमें दावे के वे मामले सम्मिलित नहीं हैं जो ऐसी स्टेट में लाए जाएं जहां कानूनी शुल्क तथा लागत के लिए अलग निर्णय का प्रावधान है, ऐसे में सीमा 58,000 अमरीकी डॉलर होगी जिसमें कानूनी शुल्क तथा लागत सम्मिलित नहीं है।

वाहक का नाम टिकट में संक्षिप्त रूप में दिया जा सकता है। वाहक का पूरा नाम व इसका संक्षिप्त नाम वाहक के टैरिफ, वहन की शर्तों, विनियमों अथवा समय-सारिणी में दिया जाता है। प्रस्थान एयरपोर्ट वाहक का पता होगा जो टिकट में वाहक के नाम के पहले संक्षिप्त अक्षर के सामने दर्शाया जाएगा। स्टॉप के सहमत स्थान वह हैं जो टिकट में दिए गए हैं अथवा वाहक की समय-सारिणी में दर्शाए गए हैं। सक्सेसिव कैरियर्स सिंगल ऑपरेशन माने जाते हैं।

एक वाहक दूसरे वाहक के लिए टिकट केवल एजेंट के रूप में जारी कर सकता है।

वाहक की देयता को कम करने की सीमा अथवा उसे हटाया जाना वाहक के एजेंटों, सेवाकर्मियों तथा प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्ति जिसके विमान का वाहक उपयोग करता है तथा उसके एजेंट, सेवाकर्मी एवं प्रतिनिधियों पर लागू होते हैं व उनके लाभ के लिए होते हैं।

चैक्ड बैगेज, बैगेज चैक के धारक को डिलीवर किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय परिहवन में अंतरण के दौरान सामान के क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में क्षति नजर में आने के तुरंत बाद वाहक को लिखित में शिकायत दी जानी चाहिए तथा कम से कम प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर, विलंब की स्थिति में बैगेज डिलीवर होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर शिकायत भेजी जानी चाहिए। गैर-अंतरराष्ट्रीय परिवहन के संबंध में टैरिफ अथवा वहन की शर्तें देखें।

टिकट जारी करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वहन हेतु मान्य होती हैं जब तक की टिकट, वाहक के टैरिफ, वहन की शर्तों अथवा संबंधित विनियमों में अलग से कोई अन्य प्रावधान न किया गया हो। वहन के किराए में वहन के आरंभ होने से पूर्व परिवर्तन हो सकता है। यदि लागू किराए का भुगतान नहीं किया जाता है तो वाहक परिवहन से इंकार कर सकता है।

यात्री तथा सामान को यथोचित रूप से पहुंचाने के लिए एयरलाइन सभी सर्वोत्तम प्रयास करती है। समय-सारिणी व अन्य स्थानों पर दर्शाया गया समय गारंटिड नहीं हैं तथा इस कॉन्ट्रेक्ट का भाग नहीं है। वाहक बिना किसी सूचना के एक के स्थान पर दूसरे वाहक अथवा विमान का उपयोग कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर टिकट में दर्शाए गए स्टॉप को परिवर्तित कर सकता है अथवा छोड़ सकता है। शेड्यूल में बिना सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है। कनेक्शन बनाने की जिम्मेदारी वाहक की नहीं है।

यात्री सरकार की यात्रा अपेक्षाओं, वर्तमान निकास, प्रवेश व अन्य दस्तावेज़ों का अनुपालन करेंगे तथा वाहक द्वारा निर्धारित समय पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अथवा यदि कोई समय निश्चित नहीं है तो पर्याप्त समय पहले पहुंचेंगे जिससे प्रस्थान प्रक्रियाएं पूरी का जा सकें।

एयरलाइन के किसी एजेंट, सेवाकर्मी प्रतिनिधि को कॉन्ट्रेक्ट के प्रावधानों को परिवर्तित, संशोधित अथवा छूट देने का कोई प्राधिकार नहीं है।

उपयोग न किए गए कूपन उनकी वैधता की समाप्ति की तिथि के पश्चात् एक वर्ष के भीतर एयरलाइन को सौंप देने पर धनवापसी की जा सकेगी।

लागू अधिनियम अथवा वाहक के टैरिफ, नियम अथवा विनियमों का उल्लंघन करने पर टिकट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वहन करने से इंकार करने का अधिकार वाहक के पास सुरक्षित है। यात्री टिकट तथा बैगेज चेक के अग्रभाग पर ''द्वारा जारी'' सेक्शन में जिस वाहक का नाम है, यात्री उस वाहक के द्वारा जारी टैरिफ विनियमों के अधीन है।

बढ़ी हुई देयता सीमा पर एअर इंडिया पर यात्रा कर रहे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सूचना

वारसॉ कनवेंशन 1929 अथवा हेग प्रोटोकॉल 1955 अथवा मॉन्ट्रियल कनवेंशन 1999 (जैसाकि भारतीय वायु परिवहन अधिनियम 1972, यथासंशोधित वायु परिवहन (संशोधन) अधिनियम 2009 में घोषित प्रावधानों) के तहत, वास्तविक वाहक के तौर पर एअर इंडिया किसी भी अंतरराष्ट्रीय वहन के दौरान, मृत्यु, घाव अथवा अन्य शारीरिक चोट के लिए उत्तरदायी है। एअर इंडिया सहमत है कि उसकी देयता की सीमा का निर्धारण उक्त अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट होगा।

बैगेज देयता सीमाओं के संबंध में सूचना

बैगेज हानि, विलंब अथवा क्षति की देयता वायु परिवहन अधिनियम, 1972 यथासंशोधित वायु अधिनियम (संशोधन) 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगी। (2) पूरी तरह से यूएस प्वाइंट्स के बीच यात्रा हेतु, फेडरल नियमों की अपेक्षानुसार एयरलाइन की बैगेज देयता सीमा प्रति यात्री कम से कम $1,250 अमरीकी डॉलर हो।

कुछ प्रकार की मूल्यवान वस्तुओं पर अधिक मूल्य घोषित किया जा सकता है। वाहक भंगुर अथवा नाशवान वस्तुओं की जिम्मेदारी नहीं लेता है। अधिक जानकारी एयरलाइन से प्राप्त की जा सकती है।

सरकार द्वारा लगाए गए कर एवं शुल्क की सूचना

इस टिकट के मूल्य में सरकारी प्राधिकारियों द्वारा वायु परिवहन पर लगाए गए कर तथा शुल्क सम्मिलित हो सकते हैं। यह कर तथा शुल्क हवाई यात्रा की लागत का एक बड़ा भाग हो सकते हैं, उन्हें टिकट के ''कर'' बॉक्स में अलग से दर्शाया जाता है। आपको पहले से नहीं लिए गए कर अथवा शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित हो सकता है।

कॉन्ट्रेक्ट की शर्तें

जैसाकि इस कॉन्ट्रेक्ट में प्रयुक्त किया गया है कि टिकट का अर्थ है यात्री टिकट तथा बैगेज चेक तथा । इलैक्ट्रॉनिक टिकट यदि लागू है तो यात्राक्रम/रसीद, यह शर्तें एवं सूचनाएं जिसका भाग हैं। ''वहन'' , ''परिवहन'' के समकक्ष है, ''वाहक'' का अर्थ है सभी हवाई वाहक जो यात्रियों अथवा उनके सामान का वहन करते हैं अथवा हवाई वहन से संबंधित अन्य सेवाओं का निष्पादन करते हैं। ''इलैक्ट्रॉनिक टिकट'' का अर्थ है कि वाहक द्वारा अथवा की ओर से जारी किया गया यात्राक्रम/रसीद, इलैक्ट्रॉनिक कूपन तथा यदि लागू है तो बोर्डिंग दस्तावेज़। वारसॉ कनवेंशन का अर्थ है 12 अक्तूबर 1929 को वारसॉ में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय हवाई वहन से संबंधित कुछ नियमों के एकीकरण हेतु कनवेंशन अथवा 28 सितंबर 1955 को हेग में संशोधित कनवेंशन अथवा 28 मई 1999 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय हवाई वहन से संबंधित कुछ नियमों के एकीकरण हेतु कनवेंशन, जो भी लागू हो।

यहां वहन, वारसॉ कनवेंशन द्वारा निर्धारित की गई देयता से संबंधित नियमों तथा सीमाओं के अधीन है जब तक कि ऐसा वहन ''अंतरराष्ट्रीय वहन'' नहीं हो जैसाकि कनवेंशन में परिभाषित किया गया है।

पूर्वोल्लिखित शर्तों से मतभेद के बिना प्रत्येक वाहक द्वारा वहन एवं निष्पादित अन्य सेवाएं निम्न के अधीन हैं: (i) इस टिकट में दिए गए प्रावधान (ii) लागू टैरिफ (iii) वाहक की वहन की शर्तें तथा संबंधित विनियम जो यहां इसका भाग है (तथा वाहक के कार्यालयों में आवेदन करने पर उपलब्ध हैं)। इसमें यूएस अथवा कनाडा के बीच के स्थानों तथा उससे बाहर के किसी स्थान के बीच किया गया परिवहन सम्मिलित नहीं है व इनमें उन देशों में लागू टैरिफ लिए जाएंगे।

बैगेज में खतरनाक वस्तुएं

नीचे दी गई खतरनाक वस्तुएं सुरक्षा कारणों से यात्री बैगेज में वहन नहीं की जानी चाहिए।

- विस्फोटक, गोला बारूद, आतिशबाजी तथा फ्लेयर्स।
- ज्वलनशील द्रव्य तथा ठोस जैसे लाइटर रिफिल, लाइटर ईंधन, माचिस, पेंट, थिनर, फायर लाइटर, लाइटर। रेडियोएक्टिव सामग्री।
- अलार्म उपकरण लगे ब्रीफकेस तथा अटैची।
- ऑक्सीडाइजिग सामग्री जैसे ब्लीचिंग पाउचर तथा पेरोक्साइड्स।
- जहर तथा संक्रामक पदार्थ जैसे कीटनाशक, खरपतवार नाशक तथा जीवित वायरस पदार्थ।

  अन्य खतरनाक वस्तुएं जैसे चुम्बकीय, आक्रामक अथवा प्रदाहात्मक सामग्री।

  यात्री यात्रा के दौरान अपनी आवश्यकता अथवा उपयुक्तता के अनुसार सीमित मात्रा में दवाइयां तथा प्रसाधन का सामान (toiletries) जैसे हेयर स्प्रे, परफ्यूम्स तथा एल्कोहलयुक्त दवाईयों का वहन कर सकते हैं।

इनमें से अनेक सूचीबद्ध वस्तुएं हवाई कार्गो के रूप में वहन की जा सकती है बशर्ते उन्हें कार्गो विनियमों के अनुसार पैक किया गया हो। इस संबंध में और अधिक सूचना अनुरोध करने पर प्राप्त की जा सकती है।

चेक-इन समय

एयरलाइन द्वारा यात्रा के लिए स्वीकार करने से पूर्व तथा पश्चात् एयरपोर्ट पर यात्री द्वारा कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी अपेक्षित होती है। इन औपचारिकताओं को पूरा करने तथा चेक-इन प्रक्रिया के लिए यात्रियों को उड़ान के प्रस्थान से पर्याप्त समय पूर्व पहुंचना अपेक्षित होता है। एयरलाइन के बुकिंग तथा एयरपोर्ट कार्यालयों से एडवांस में प्रत्येक उड़ान के चेक-इन समय के बारे में पूछताछ की जा सकती है। उड़ान कूपन (नों) में दर्शाया गया समय विमान का प्रस्थान समय होता है। चेक-इन के लिए देरी से पहुंच रहे यात्रियों के लिए उड़ान में विलंब नहीं किया जा सकता है तथा ऐसे मामलों में एअर इंडिया कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

केबिन बैगेज

उड़ान में केबिन बैगेज का केवल एक पीस ले जा सकते हैं बशर्ते वह सीट के नीचे के स्थान में रखा जा सके व उसकी कुल माप 115 सेमी (45 इंच) से अधिक न हो। अधिक व निर्धारित सीमा से बड़े आकार के हैंड बैगेज बोर्डिंग गेट पर ले लिए जाएंगे तथा इनके लिए

अतिरिक्त सामान प्रभार लिया जाएगा। छोटे कैमरा में लगे बैटरी सेल को छोड़कर, सुरक्षा कारणों से बैटरी सेल अपने हाथ या पॉकेट में अपने साथ अथवा केबिन बैगेज में ले जाने की अनुमति नहीं है, चाहे ये हैंड बैगेज में ले जाए जा रहे इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रॉनिक उपकरण का भाग ही क्यों न हों।

पूर्वोल्लिखित शर्तों से मतभेद के बिना प्रत्येक वाहक द्वारा वहन एवं निष्पादित अन्य सेवाएं निम्न के अधीन हैं:

इस टिकट में दिए गए प्रावधान

(ii) लागू टैरिफ

वाहक की वहन की शर्तें तथा संबंधित विनियम जो यहां इसका भाग है (तथा वाहक के कार्यालयों में आवेदन करने पर उपलब्ध हैं)। इसमें यूएस अथवा कनाडा के बीच के स्थानों तथा उससे बाहर के किसी स्थान के बीच किया गया परिवहन सम्मिलित नहीं है व इनमें उन देशों में लागू टैरिफ लिए जाएंगे।

एयरलाइन का नाम टिकट में संक्षिप्त रूप में दिया जा सकता है। एयरलाइन का पूरा नाम व इसका संक्षिप्त नाम वाहक के टैरिफ, वहन की शर्तों, विनियमों अथवा समय-सारिणी में दिया जाता है। प्रस्थान एयरपोर्ट वाहक का पता होगा जो टिकट में वाहक के नाम के पहले संक्षिप्त अक्षर के सामने दर्शाया जाएगा। सहमत स्टॉप स्थान वह हैं जो टिकट में दिए गए हैं अथवा वाहक की समय-सारिणी में दर्शाए गए हैं। सक्सेसिव कैरियर्स सिंगल ऑपरेशन माने जाते हैं।

लागू अधिनियम अथवा वाहक के टैरिफ, नियम अथवा विनियमों का उल्लंघन करने पर टिकट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वहन करने से इंकार करने का अधिकार वाहक के पास सुरक्षित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में कृपया अंग्रेजी वेबसाइट में दी गई सामग्री को अंतिम माना जाए।